कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़, सीकर–332001

ई–मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in, फोन नं. 01572–245057

क्रमांकः– नविन्यास / नियमन / 2024–25 / 00714 दिनांकः– 10.01.2025

प्रेषितीः–

सन्तोष देवी पत्नी श्री मदन लाल
जाति जाट निवासी वार्ड नं. 15,
जाटों का चौक, तह. व जिला सीकर।

विषयः– राजस्व ग्राम नानी तह. सीकर ग्रामीण के खसरा नम्बर 1911 / 1290 रकबा 0.1124 है. भूमि पर त्रिवेणी नगर–2 आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम नानी तह. सीकर ग्रामीण के खसरा नम्बर 1911 / 1290 रकबा 0.1124 है. भूमि पर त्रिवेणी नगर–2 आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2010 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय / बेचान किया जावे।
2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ तकनिकीविद की देख–रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों और सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
3. समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होगें तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
4. वाटर ड्रेनेज, ओवर हैड टैंक एवं सीवरेज लाईन हेतु राशि न्यास कोष में जमा करवाई गई है।
5. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 2.00 है. तक की योजनाओं के लिए 18 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यों के लिए निर्धारित है।
6. योजना का अनुमोदित मानचित्र योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
7. भू–खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू–खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
8. योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2020 के अनुसार ही किया जाना होगा।
9. आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में 12.50 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या 1 कुल भू–खण्ड–1) भू–खण्डों का न्यास के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
10. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the allotees).
11. बोरिंग / ट्यूबवेल / पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
12. योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूल्स के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए.वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

संलग्नः– अनुमोदित योजना मानचित्र।

Validity unknownSignature valid

(जगदीश प्रसाद गौड़)
सचिव,
नगर विकास न्यास, सीकर

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Designation : Secretary
Date: 2025.01.1[illegible] 15:42:25 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12941989

TRIVENI NAGAR -2

LAYOUT PLAN OF KHASRA No. 1911/1290, AT REVENUE VILL. NANI, DIST. SIKAR (RAJ.)
PURPOSE :- RESIDENTIAL SCHEME
APPLICANT :- SANTOSH DEVI W/o MADAN LAL, WARD NO. 15, 409, JATO KA CHOK, SIKAR (RAJASTHAN)

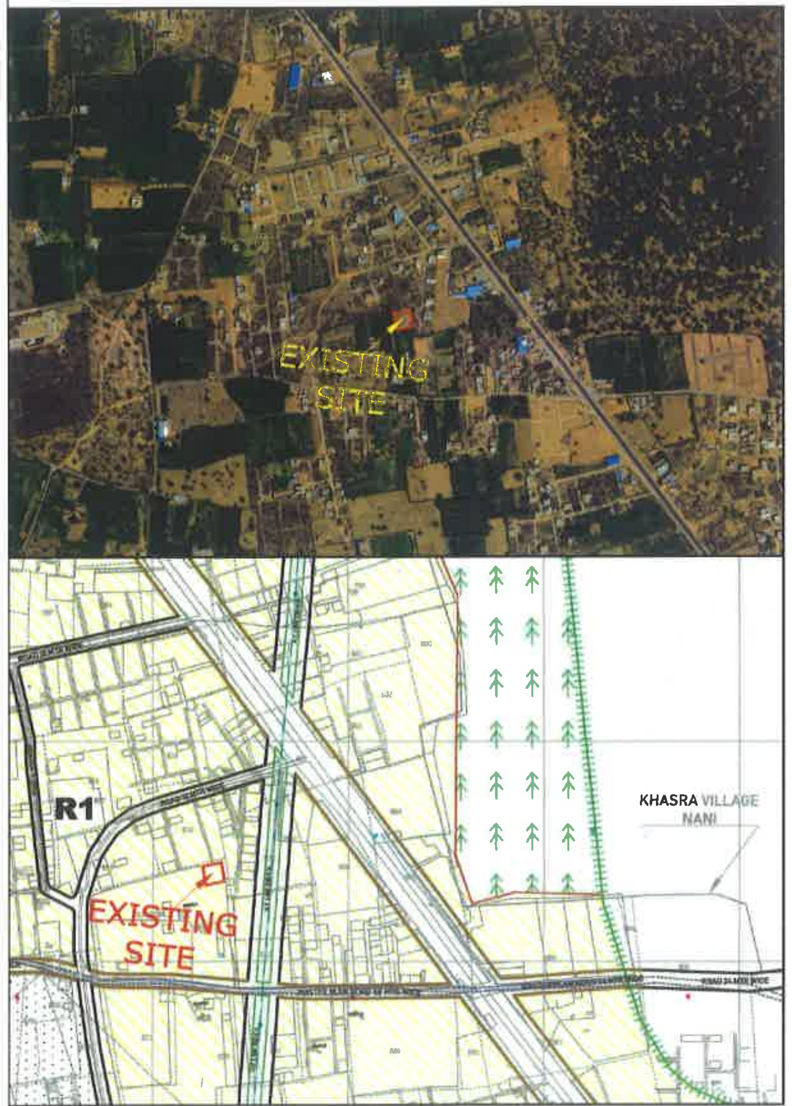

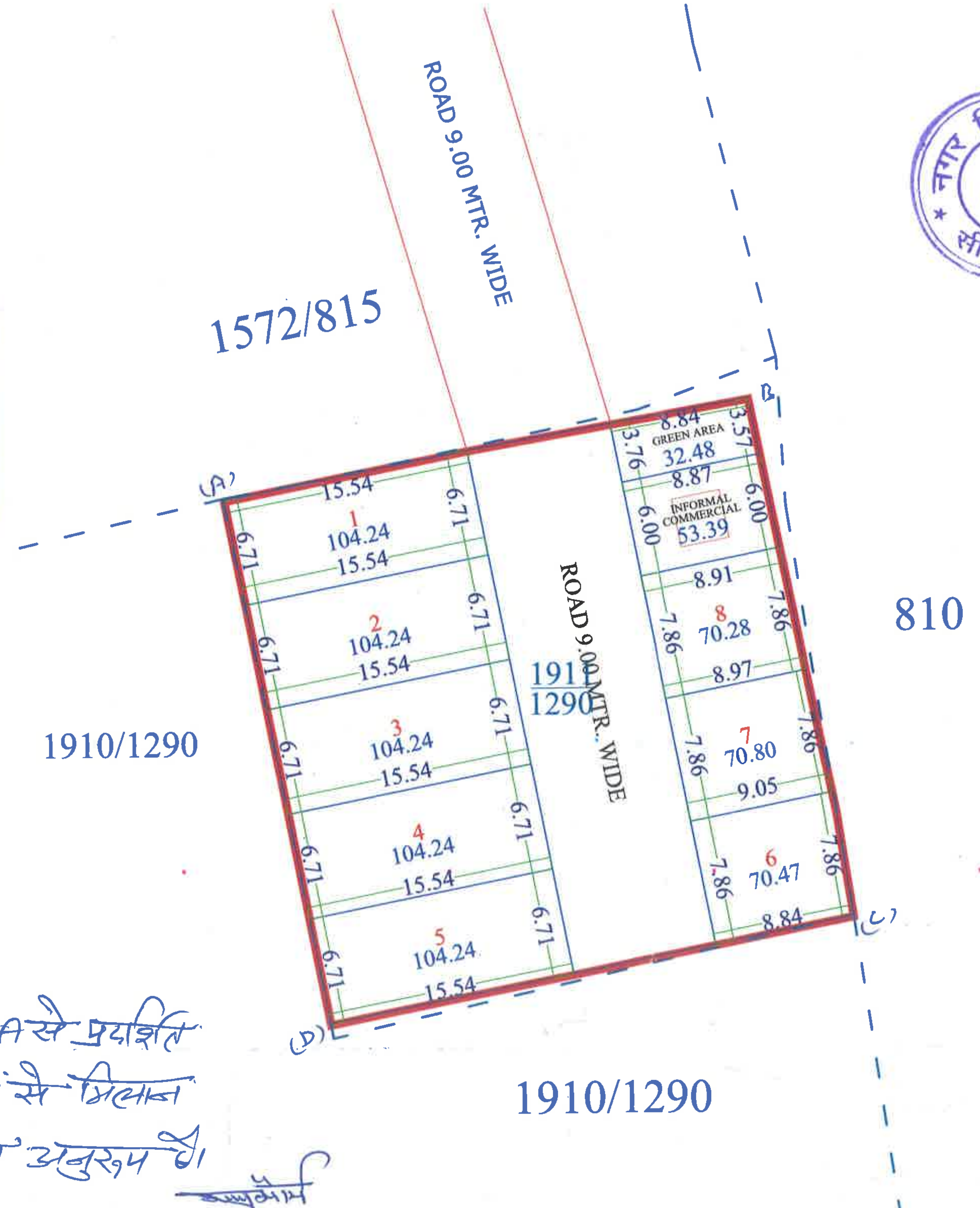

नगर विकास न्यास सीकर

इसके आउट में ABCDA से प्रदर्शित क्षेत्र का राजस्व नक्शे से मिलान किया गया जो लगभग अनुरूप है।
12/12/24
ILR-UIT सीकर

त्रिवेणी नगर – 2 आवासीय योजना का ले–आउट आज दिनांक 13/12/24 को ले–आउट कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

13/12/2024 उप नगर नियोजक नगर सुधार न्यास सीकर	13/12/24 अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास सीकर	13.12.2024 सचिव नगर विकास न्यास, सीकर

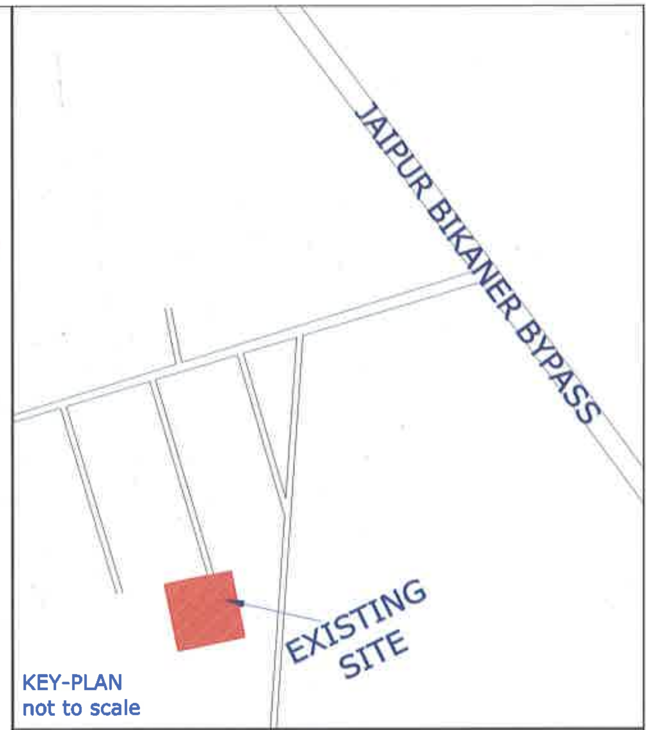

SURVEY WISE LAND USE DETAILS

S. No.	LAND USE	AREA (Sq. Mtrs.)	Percent
1.	Residential	732.74	65.19
2.	Road	305.40	27.17
3.	Green Area	32.47	02.89
4.	INFORMAL COMM.	53.39	04.75
	Total Area	1124.00	100.00

SCHEME PLOTS DETAIL

1.	PLOTS	NO.
2.	RESIDENTIAL	08
3.	INFORMAL COMMERCIAL	01
3.	GREEN AREA	01

SCALE - 1CM= 2.5 MTR.

(red line)	SCHEME BOUNDARY
(dashed line)	KHASRA LINE
(thin line)	PLOT BOUNDARY

NOTE: ALL DIMENSIONS ARE IN METER

SURVEYED BY :-
SATYAM ASSOCIATE
10 GOVIND DEV MARKET,
Nr. CHANDPOL GATE, SIKAR(RAJ.)
CELL:- 9829251176, 9887007419